ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी–फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ की कार्यपरिषद की 14वीं बैठक दिनांक 20–04–2019 का

कार्यवृत्त।

उपस्थित :		
1.	प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा, मा0 कुलपति	मा0 अध्यक्ष
2.	प्रो0 सोमेश कुमार शुक्ल (राज्यपाल सचिवालय द्वारा नामित)	सदस्य
3.	प्रो0 ए0 चटर्जी (राज्यपाल सचिवालय द्वारा नामित)	सदस्य
4.	प्रो0 बी0डी0 मिश्रा (राज्यपाल सचिवालय द्वारा नामित)	सदस्य
5.	प्रो0 मसऊद आलम, विभागाध्यक्ष, अरबी विभाग।	सदस्य
6.	प्रो0 सैय्यद हैदर अली, विभागाध्यक्ष, व्यवसाय प्रबन्ध विभाग।	सदस्य
7.	प्रो0 एस0एस0ए0 अशरफी, विभागाध्यक्ष, उर्दू विभाग।	सदस्य
8.	डॉ0 एहतेशाम अहमद, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग।	सदस्य
9.	डॉ0 फखरे आलम, एसोसिएट प्रोफेसर , उर्दू विभाग।	सदस्य
10.	डॉ0 सौबान सईद, एसोसिएट प्रोफेसर , उर्दू विभाग।	सदस्य
11.	डॉ0 अब्दुल हफीज़, असिस्टेंट प्रोफेसर, अरबी विभाग।	सदस्य
12.	डॉ0 प्रियंका, असिस्टेंट प्रोफेसर, गृह विज्ञान विभाग।	सदस्य
13.	श्री सर्वेश कुमार सिंह, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।	शासन के नामित प्रतिनिधि
14.	श्री महेन्द्र कुमार भट्ट, वित्त अधिकारी।	विशेष आमंत्री
15.	श्री अशोक कुमार अरविन्द, कुलसचिव	कुलसचिव / पदेन सचिव

माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से कुलसचिव द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। कार्यपरिषद की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन के प्रतिनिधि के रूप में नामित **उप सचिव, श्री कृष्ण चन्द्र राय शर्मा, लिंक अधिकारी, अनु सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–4** के स्थान पर **श्री सर्वेश कुमार सिंह, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन** द्वारा प्रतिभाग किया गया। सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा कार्यपरिषद के माननीय अध्यक्ष / माननीय कुलपति व सभी सम्मानित सदस्यों का बैठक में स्वागत किया गया। स्वागत के उपरान्त बिन्दुवार कार्यपरिषद के बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

कुलपति
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ

कार्यवाही

बिन्दु संख्या–1

कार्यपरिषद की 13वीं बैठक दिनांक 23–01–2019 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने दिनांक 23–01–2019 को सम्पन्न हुई अपनी 13वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की सर्वसम्मति से पुष्टि की।

बिन्दु संख्या–2

विद्यापरिषद की 5वीं बैठक दिनांक 14–11–2018 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने विद्यापरिषद की 5वीं बैठक दिनांक 14–11–2018 में लिये गये निर्णयों पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या–3

विद्यापरिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 01–03–2019 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने विद्यापरिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 01–03–2019 में लिये गये निर्णयों की निम्नलिखित संशोधन के साथ सर्वसम्मति से पुष्टि की–

"2.1 कार्यपरिषद की सदस्य डॉ0 प्रियंका ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय की 02 शिक्षक (श्रीमती रूचिता सुजय चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पत्रकारिता एवं जनसंचार तथा श्रीमती ततहीर फात्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गृह विज्ञान) ऐसी हैं, जिनकी पी0एच0डी0 अवार्ड अभी तक नहीं हुई है और विश्वविद्यालय द्वारा इन दोनों विभागों में विद्यार्थियों के प्रवेश ले लिये गये हैं।

कार्यपरिषद द्वारा इस बिन्दु पर विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया कि दोनों शिक्षकों की पी0एच0डी0 अवार्ड होने हेतु 06 महीने का समय दिया गया। भविष्य में इस सम्बन्ध में कोई परेशानी

कुलसचिव
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ

कुलपति
ख़्वाजा मुईनुददीन चिश्ती
उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ

*आती है तो पुनः कार्यपरिषद की बैठक कर उस पर निर्णय लेने हेतु सहमति व्यक्त की गयी। साथ ही विद्यार्थियों के हित के दृष्टिगत **Status-quo** बने रहने का निर्देश दिया गया।*

2.2 *विद्यापरिषद द्वारा विषय प्रभारी, भूगोल के अनुरोध के दृष्टिगत विश्वविद्यालय में सी०बी०सी०एस० प्रणाली के अन्तर्गत बी०ए० (आनर्स) भूगोल के साथ–साथ बी०एस०सी० (आनर्स) भूगोल का पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी। विषय प्रभारी, भूगोल द्वारा कार्यपरिषद ("**कार्यपरिषद**" के स्थान पर "**विद्यापरिषद**" पढ़ा जाए) के समक्ष उपस्थित होकर अवगत कराया गया कि बी०एस०सी० (आनर्स) भूगोल के प्रारम्भ होने से विश्वविद्यालय पर अतिथि शिक्षक का अतिरिक्त व्ययभार नहीं पड़ेगा। साथ ही इससे सम्बन्धित अन्य निर्णय लिये जाने हेतु विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति/अध्यक्ष विद्यापरिषद को सर्वसम्मति से अधिकृत किया गया।"*

बिन्दु संख्या–4

विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (अनुभाग–4), उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–75/सत्तर–4–2019–1091/2016 दिनांक 31–01–2019 द्वारा विश्वविद्यालयों/समकक्षीय संस्थाओं में गठित वित्त समिति एवं कार्य–परिषद की बैठकों में उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन का प्रतिनिधि के रूप उप सचिव, श्री कृष्ण चन्द्र राय शर्मा, लिंक अधिकारी, अनु सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–4 को नामित किया गया है। आदेश दिनांक 31–01–2019 को अंगीकृत किये जाने पर विचार।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (अनुभाग–4), उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–75/सत्तर–4–2019–1091/2016 दिनांक 31–01–2019 द्वारा विश्वविद्यालयों/समकक्षीय संस्थाओं में गठित वित्त समिति एवं कार्य–परिषद की बैठकों में उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन का प्रतिनिधि के रूप **उप सचिव, श्री कृष्ण चन्द्र राय शर्मा, लिंक अधिकारी, अनु सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–4** को नामित किये जाने की सूचना से अवगत हुए एवं उक्त आदेश दिनांक 31–01–2019 को विश्वविद्यालय में अंगीकृत किये जाने पर सर्वसम्मिति से स्वीकृति प्रदान की।

ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
..., फारसी विश्वविद्यालय, ...

कुलपति
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ

बिन्दु संख्या–5

ई0डब्लू0एस0 (**Economically Weaker Section**) के सम्बन्ध में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–36039/1/2019–इस्ट(रेस्ट), दिनांक 31–01–2019 (पृष्ठ संख्या–1 से 12 तक), उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग–2, के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1/2019/4/1/2002/का–2/19टी.सी.–II, दिनांक 18–02–2019 (पृष्ठ संख्या–1 से 5 तक), **The Gazette of India, Registered No. DL-(N)04/0007/2003-19, Extraordinary, Part II-Section 1, Published by Authority, No. 22] New Delhi, Thursday, March 07, 2019/Phalguna 16, 1940 (Saka), Ministry of Law and Justice (Legislative Department), The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Ordinance, 2019, No. 13 of 2019** (पृष्ठ संख्या–1 से 4 तक) तथा भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खण्ड–3, उप–खण्ड (ii), प्राधिकार से प्रकाशित, सं0–1013] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2019/फाल्गुन 16, 1940, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग), अधिसूचना, नई दिल्ली, दिनांक 07–03–2019 (पृष्ठ संख्या–1 से 2 तक) को इस विश्वविद्यालय में अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने ई0डब्लू0एस0 (Economically Weaker Section) के सम्बन्ध में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–36039/1/2019–इस्ट(रेस्ट), दिनांक 31–01–2019 (पृष्ठ संख्या–1 से 12 तक) को इस विश्वविद्यालय में अंगीकृत नहीं किया।

कार्यपरिषद ने उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग–2, के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1/2019/4/1/2002/का–2/19टी.सी.–II, दिनांक 18–02–2019 (पृष्ठ

कुलसचिव
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ

कुलपति
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ

संख्या–1 से 5 तक) को इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश के सम्बन्ध में अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की।

The Gazette of India, Registered No. DL-(N)04/0007/2003-19, Extraordinary, Part II- Section 1, Published by Authority, No. 22] New Delhi, Thursday, **March 07, 2019**/Phalguna 16, 1940 (Saka), Ministry of Law and Justice (Legislative Department), **The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Ordinance, 2019**, No. 13 of 2019 (पृष्ठ संख्या–1 से 4 तक) तथा भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खण्ड–3, उप–खण्ड (ii), प्राधिकार से प्रकाशित, सं0–1013] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 7, 2019/फाल्गुन 16, 1940, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग), अधिसूचना, नई दिल्ली, दिनांक 07–03–2019 (पृष्ठ संख्या–1 से 2 तक) को **इस विश्वविद्यालय में अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में स्वीकृति प्रदान की।**

कार्यपरिषद ने उपरोक्त अंगीकृत किये गये आदेशों क्रमशः दिनांक 07–03–2019 एवं 07–03–2019 को विश्वविद्यालय में किस तिथि से लागू माने जायेंगे। इस हेतु माननीय कुलाधिपति/राज्यपाल महोदय तथा उ0प्र0 शासन को पत्र प्रेषित कर तिथि स्पष्ट किये जाने पर स्वीकृति प्रदान की।

बिन्दु संख्या–6

विश्वविद्यालय में सत्र 2019–2020 से होने वाले स्नातक एवं परास्नातक के विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन अथवा दोनों प्रकार से प्रारम्भ किये जाने पर विचार।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालथ में सत्र 2019–2020 से होने वाले स्नातक एवं परास्नातक के विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार से प्रारम्भ किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की।

बिन्दु संख्या–7

विश्वविद्यालय में गठित प्रॉस्पेक्टस समिति द्वारा सत्र 2019–2020 के तैयार किये गये प्रॉस्पेक्टस पर दी गयी कार्योत्तर स्वीकृति पर अनुमोदन।

कुलसचिव
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ...

कुलपति
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ

निर्णय–

कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय में गठित प्रॉस्पेक्टस समिति द्वारा सत्र 2019–2020 के तैयार किये गये प्रॉस्पेक्टस पर दी गयी कार्योत्तर स्वीकृति पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या–8

विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन हेतु शासन के पत्र संख्या–21/2019/633/सत्तर–4–2019–8(4)/2018, दिनांक 25–03–2019 द्वारा तीन विभागों हेतु वर्ष 2018–19 में स्वीकृत धनराशि रू04.50 लाख (रू01.50 प्रति विभाग) से वर्ष 2019–2020 में राष्ट्रीय सेमिनार कराये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय–

कार्यपरिषद द्वारा विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन हेतु शासन के पत्र संख्या– 21/2019/633/सत्तर–4–2019–8(4)/2018, दिनांक 25–03–2019 द्वारा तीन विभागों हेतु वर्ष 2018–19 में स्वीकृत धनराशि रू04.50 लाख (रू01.50 प्रति विभाग) से वर्ष 2019–2020 में राष्ट्रीय सेमिनार 06 माह में कराये जाने का अनुमोदन इस प्रतिबन्ध के साथ किया गया कि वित्त समिति की 10वीं बैठक दिनांक 18–04–2019 में लिये गये निर्णय के अनुसार उक्त धनराशि रू04.50 लाख को वित्तीय वर्ष 2019–20 में व्यय किये जाने हेतु शासन से अनुमति प्राप्त कर ली जाये।

बिन्दु संख्या–9

विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने सम्बन्धी विज्ञापन, रोस्टर, आवेदन–पत्र, दिशा–निर्देश एवं आवेदन पत्र की तिथि दिनांक 25–04–2019 तक विस्तारित किये जाने सम्बन्धी कार्योत्तर स्वीकृति पर अनुमोदन।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने सम्बन्धी विज्ञापन, रोस्टर, आवेदन–पत्र, दिशा–निर्देश एवं आवेदन पत्र की तिथि दिनांक 25–04–2019

कुलसचिव

कुलपति
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ

तक विस्तारित किये जाने सम्बन्धी कार्योत्तर स्वीकृति पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या–10

बिन्दु संख्या–5 को अंगीकृत किये जाने के उपरान्त बिन्दु संख्या–9 का पुनः परीक्षण किये जाने पर विचार।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने बिन्दु संख्या–5 को अंगीकृत किये जाने के उपरान्त बिन्दु संख्या–9 का पुनः परीक्षण कराये जाने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–11

विश्वविद्यालय में अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के सम्बन्ध में एल0ओ0आई0 प्राप्त होने के उपरान्त ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निरीक्षण की तैयारी करने के सम्बन्ध में तथा आचार संहिता लागू होने के कारण निर्वाचन अधिकारी/उ0प्र0 शासन को पूर्व में दिये गये पत्र पर विचार तथा निरीक्षण सम्बन्धी निर्णय पर विचार।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय में अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के सम्बन्ध में एल0ओ0आई0 प्राप्त होने के उपरान्त ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निरीक्षण की तैयारी करने के सम्बन्ध में तथा आचार संहिता लागू होने के कारण निर्वाचन अधिकारी/उ0प्र0 शासन को पूर्व में दिये गये पत्र पर विचार तथा निरीक्षण सम्बन्धी निर्णय आदि कार्यों हेतु विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी, कुलसचिव व वित्त अधिकारी को अधिकृत किया। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय हित में जो भी निर्णय होगा कार्य परिषद द्वारा मान्य होगा।

बिन्दु संख्या–12

विश्वविद्यालय में अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय को खोलने हेतु पुस्तकों के क्रय करने के लिए की गयी कार्योत्तर स्वीकृति पर अनुमोदन।

कुलपति
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ

निर्णय–

कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय में अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय को खोलने हेतु पुस्तकों के क्रय करने के लिए की गयी कार्योत्तर स्वीकृति पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या–13

विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों की फीस निर्धारित किये जाने सम्बन्धी विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–625/उअफाविवि/कुसका/2018 दिनांक 04–06–2018 के साथ संलग्न फीस के विवरण की कार्योत्तर स्वीकृति पर अनुमोदन।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों की फीस निर्धारित किये जाने सम्बन्धी विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–625/उअफाविवि/कुसका/2018 दिनांक 04–06–2018 के साथ संलग्न फीस के विवरण की कार्योत्तर स्वीकृति पर निम्नलिखित संशोधन के साथ अनुमोदन प्रदान किया :–

S.No	Course (Hons.) (CBCS)	2018-19 Annual Old Fees (in Rupees)	2019-20 Annual New Fees (in Rupees)
1.	B.A.(Hons.) * (Practical)/B.Sc.(Geography)	8745	**8275**
2.	B.A.(Hons.) (Non Practical)	8245	**7275**
3.	B.Com. (Hons.)	12245	**9245**
4.	B.C.A.	19625	**14775**
5.	B.Sc (Home Sci)	19625	**14775**
6.	B.B.A	20625	**14775**
7.	B.A-JMC	20625	**14775**
8.	M.A-JMC	30325	**21025**
9.	M.Com.	15525	**11025**
10.	M.A (Geography/Home Science/Education)	15525	**13025**
11.	M.A. (Urdu, Arabic, Persian, English, History, Economics, Political Science)	15525	**10825**
12.	M.B.A.	78750	**37250**
13.	M.C.A.	-	**37250**

***B.A. (Hons) Practical Covers:**

- B.A. (Hons) Geography
- B.A. (Hons) Home Science
- B.A. (Hons) Physical Education
- B.A. (Hons) Education

कुलपति
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ

कार्यपरिषद ने उपरोक्तानुसार शुल्क सत्र 2019–20 से समस्त अध्ययनरत् विद्यार्थियों और नवीन विद्यार्थियों पर लागू किये जाने पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की तथा आगामी वित्त समिति की बैठक में उपरोक्त निर्णय से वित्त समिति को सूचित किये जाने पर भी सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु संख्या–14

विश्वविद्यालय के कला संकाय में नये सत्र 2019–20 से अन्य विषय प्रारम्भ करने पर विचार।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय के कला संकाय में नये सत्र 2019–20 से अन्य विषय **(समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, दर्शन शास्त्र एवं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन)** प्रारम्भ करने एवं पद सृजन हेतु शासन को पत्र प्रेषित करने की स्वीकृति प्रदान की।

बिन्दु संख्या–15

डॉ0 पूनम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग के दिनांक 02–01–2019 से 03–01–2019 तक के चिकित्सीय अवकाश की स्वीकृति पर विचार।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने डॉ0 पूनम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग के दिनांक 02–01–2019 से 03–01–2019 तक के चिकित्सीय अवकाश सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की।

बिन्दु संख्या–16

डॉ0 चन्दना डे, विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग के दिनांक 21–02–2019 से दिनांक 30–03–2019 तक (कुल 38 दिन) के बाल्य देखभाल अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति पर अनुमोदन।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने डॉ0 चन्दना डे, विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग के दिनांक 21–02–2019 से दिनांक 30–03–2019 तक (कुल 38 दिन) के बाल्य देखभाल अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

कुलसचिव
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ

कुलपति
ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ

बिन्दु संख्या–17

डॉ0 अताउर्रहमान आज़मी, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग के दिनांक 25–03–2019 से दिनांक 24–03–2021 तक के अध्ययन अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति पर अनुमोदन।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने डॉ0 अताउर्रहमान आज़मी, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग के दिनांक 25–03–2019 से दिनांक 24–03–2021 तक के अध्ययन अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या–18

अन्य बिन्दु– माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से।

बिन्दु संख्या–18.1

वित्त समिति की 10वीं बैठक दिनांक 18–09–2018 में लिये गये निर्णयों पर अनुमोदन।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने वित्त समिति की 10वीं बैठक दिनांक 18–09–2018 के **बिन्दु संख्या–1 से बिन्दु संख्या–8.1 तक** लिये गये निर्णयों पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या–18.2

प्रो0 विमल जायसवाल, वाणिज्य संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को वित्त समिति के सदस्य नामांकन की कार्योत्तर स्वीकृति पर अनुमोदन।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने प्रो0 विमल जायसवाल, वाणिज्य संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को वित्त समिति के सदस्य नामांकन की कार्योत्तर स्वीकृति पर अनुमोदन प्रदान किया।

कुलसचिव
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ

ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ

बिन्दु संख्या–18.3

अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय में शिक्षकों की भर्ती के विज्ञापन पर विचार।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय में शिक्षकों की भर्ती के विज्ञापन पर पर स्वीकृति प्रदान की।

बिन्दु संख्या–18.4

विश्वविद्यालय में विधि से सम्बन्धि कार्यों हेतु सूचीबद्ध किये गये अधिवक्ताओं– श्री राकेश कुमार चौधरी (उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ), श्री राजीव सिंह (उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ), श्री सचिन उपाध्याय (उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ), श्री अनुरूप चक्रवर्ती (दिल्ली हाईकोर्ट) एवं श्री प्रितिश कुमार (उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ) की कार्योत्तर स्वीकृति पर अनुमोदन।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय में विधि से सम्बन्धि कार्यों हेतु सूचीबद्ध किये गये अधिवक्ताओं– **श्री राकेश कुमार चौधरी** (उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ), **श्री राजीव सिंह** (उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ), **श्री सचिन उपाध्याय** (उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ), **श्री अनुरूप चक्रवर्ती** (दिल्ली हाईकोर्ट), **श्री प्रितिश कुमार** (उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ) तथा **श्री क़मर हसन रिज़वी, वरिष्ठ अधिवक्ता** (उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ) की कार्योत्तर स्वीकृति पर अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या–18.5

विश्वविद्यालय में विधिक कार्यों से सम्बन्धित कार्यों हेतु सूचीबद्ध अधिवक्ताओं के पारिश्रमिक निर्धारण पर विचार।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने विश्वविद्यालय में विधिक कार्यों से सम्बन्धित कार्यों हेतु सूचीबद्ध अधिवक्ताओं के पारिश्रमिक निम्नवत् निर्धारित किया :–

कुलसचिव
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
... फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ

कुलपति
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
उर्दू, अरबी, फ़ारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ

1. धनराशि रू0 3000/– प्रति पेशी
2. धनराशि रू02000/– विधिक सलाह
3. विविध व्यय अलग से देय होगा।

बिन्दु संख्या–18.6

पी0एच0डी0 हेतु आमंत्रित शिक्षकों को मानदेय की दर निर्धारित करने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय–

कार्यपरिषद ने शासनादेश संख्या–1/2008/09/सत्तर–1–2018–16(58)/2017, दिनांक 18–01–2019 के क्रम में पी0एच0डी0 के कोर्स वर्क के शिक्षण हेतु वाह्य विषय विशेषज्ञों को मानदेय की दर निम्नवत् निर्धारित किया :–

(क) असिस्टेन्ट प्रोफेसर स्तर :: रू025,000/– प्रतिमाह की अधिकतम सीमान्तर्गत रू0500/– प्रति व्याख्यान की दर से।

(ख) एसोसिएट प्रोफेसर स्तर :: रू030,000/– प्रतिमाह की अधिकतम सीमान्तर्गत रू0600/– प्रति व्याख्यान की दर से।

(ग) प्रोफेसर स्तर :: रू035,000/– प्रतिमाह की अधिकतम सीमान्तर्गत रू0700/– प्रति व्याख्यान की दर से।

अध्यक्ष महोदय एवं सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

(अशोक कुमार अरविन्द)
कुल सचिव/सचिव कार्यपरिषद।
कुलसचिव
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ

(प्रो0 माहरूख़ मिर्ज़ा)
कुलपति/अध्यक्ष, कार्यपरिषद
कुलपति
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती
उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ